न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज रमेश बनाम शेरसिंह मु.नं.– 27/22 किस्म – दावा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6.5.25	प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रा.पत्र बाबत शीघ्र सुनवाई पेश होने पर पत्रावली आज पेश हुई। उभय पक्ष एवं उनके वकील उपस्थित हुये। उभय पक्ष ने राजीनामा प्रा.पत्र पेश किया। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा में बेंच 10.5.2025 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	प्रतिवादीसं.02 [signature] प्रतिवादी सं.01 [signature] (मेघराज ...) 6.5.25 वादी सं.01 [signature] वादी सं.02 [signature] [signature] 6.5.25
10.5.25	पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा में पेश हुई। प्रकरण में राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। वादीगण आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं अतः दावा को इसी स्तर पर डिग्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
27/22	19.05.22	10.05.25

बउनवान

1. रमेश सिंह पुत्र श्यामस्वरूप सिंह
2. गोविन्द सिंह पुत्र श्यामस्वरूप सिंह
   जाति राजपूत निवासी हिंगोटा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।

...वादीगण

बनाम

1. शेरसिंह पुत्र श्यामस्वरूप सिंह जाति राजपूत निवासी हिंगोटा तहसीलदार बैजूपाडा जिला दौसा, (राज.)।
2. राजकुमारी पुत्री श्यामस्वरूप सिंह जाति राजपूत निवासी हिंगोटा तहसीलदार बैजूपाडा जिला दौसा हाल निवासी 3/584 मुलतान नगर, अलवर नियर बाबई जे.एस फेयरहिल अलवर राज.
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बैजूपाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
4. उपपंजीयक बैजूपाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।

...प्रतिवादीगण

उपस्थित : 1.अभिभाषक वादीगण – श्री रामअवतार सिंह नरूका
2.प्रतिवादीगण –स्वयं।

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

आज पत्रावली **राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा** में पेश हुई। वादीगण/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत् विड्रो किये जाने वाद पत्र पेश किया। प्रार्थीगण एवं उनके वकील ने अवगत कराया कि उनवानी प्रकरण में हम पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपस में मिल बैठकर राजीनामा हो गया है। वादी एवं प्रतिवादी की बहिन राजकुमारी प्रतिवादी संख्या 02 जिनका राजस्व रिकार्ड में हिस्सा 1/2 निहित है, जो राजीखुशी अपने भाईयों को देना चाहती है एवं तहसीलदार साहब के यहां हक त्याग करने को तैयार है इसलिये तीनों भाई अपने नाम हक त्याग तहसीलदार बैजूपाडा के यहां करवा लिगें। प्रार्थना पत्र राजीनामा के आधार पर वादपत्र को विड्रो के आधार पर खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया है।

हमने वादीगण व उनके वकील को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। दावा अभी प्रारंभिक स्टेज पर है। दावा के प्रत्याहरण की अनुमति देने में कोई विधिक अडचन नहीं होने से प्रार्थना पत्र बाबत् किये जाने विड्रो दावा घोषणा खातेदारी, तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। दावा घोषणा खातेदारी, तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण में

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। इसलिये वादीगण आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः दावा को इसी स्तर पर विड्रो के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा सुनाया गया।

10.5.25

सदस्य
राजस्व अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच महवा

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच महवा